

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

कमांक एफ 9(18)लेखा/प्रमुवसं/

7529-49

दिनांक: 28/12/2017

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, टी.आर.ई.ई./  
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, जयपुर  
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना/  
जयपुर/वि.का.जयपुर/कोटा/वन्यजीव, जयपुर/वन वर्धन, जयपुर।  
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर/  
बीकानेर/अजमेर एवं कोटा।  
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/  
भरतपुर/कोटा।  
मुख्य वन संरक्षक, बनास नदी परियोजना, जयपुर/आर.वी.पी. कोटा।  
उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, कार्यालय हाजा।

विषय:-अनुपयोगी/नकारा सामान व वाहनों के निस्तारण करके राजस्व की सूचना भिजवाये जाने बाबत।

विभाग में अनुपयोगी/नकारा सामान व वाहनों के निस्तारण से वर्ष 2017-18 की आय लक्ष्यों के मुकाबले बहुत ही असन्तोषप्रद रही है। दिनांक 21.12.2017 को सम्पन्न राजस्व समीक्षा बैठक में श्रीमान शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा भी इन मदों में असन्तोषप्रद प्रगति को गम्भीरता से लिया है तथा लक्ष्यों को शत प्रतिशत प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके सम्भाग में पड़े नकारा/अनुपयोगी सामान व वाहनों का 28.02.2018 तक निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा 15.03.2018 तक प्रगति से मुख्यालय को अवगत करावे साथ में यह भी प्रमाण-पत्र भिजवाये कि कार्यालय में नकारा/अनुपयोगी सामान व वाहन का निस्तारण होना अब अवशेष नहीं है।

  
28/12/17  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(HOFF)  
राजस्थान, जयपुर